उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग-1

सं0- **34/2018/** सं0वि0क0नि0-1- 332 /11-2018-103/17

लखनऊ:: दिनांक: 27 फरवरी, 2018

<u>विज्ञप्ति/तैनाती/स्थानान्तरण</u>

शासन की विज्ञप्ति/प्रोन्नति आदेश सं0-सं0वि0क0नि0-1-918/11-2017-179/2016, दिनॉक 01-08-2017 के माध्यम से नवपदोन्नत एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 श्री पंकज कुमार को तात्कालिक प्रभाव से एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पद पर एतद्द्वारा स्थानान्तरित/ तैनात किया जाता है।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

एस0पी0 शुक्ल
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- सं0वि0क0नि0-1-332(1)/11-2018, तद् दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ को संबंधित अधिकारी को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पद पर कार्यभार ग्रहण कराने हेतु प्रेषित।
3- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- संबंधित अधिकारी को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित की वह एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का कष्ट करे।
5- कर एवं निबंधन अनुभाग-4
6- इरला चेक अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।